RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)
Research Paper

नारीवादी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं एवं संविधानिक प्रावधान एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

चंद्रदीप नंदलाल यादव

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

Abstract: *निवर्तमान समय में महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है एक तरफ भारतीय संविधान में महिलाओं के उत्थान के लिए हमें संविधानिक प्रावधान किए गए हैं वहीं दूसरी ओर यह रूप में भारत सरकार द्वारा इनके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है वास्तव में आज महिलाओं की स्थिति जिसको हम संवैधानिक रूप में एवं वैश्विक सरकारों द्वारा क्रियान्वित रूप में देख रहे हैं वह नारीवादी आंदोलन का ही परिणाम कहां जा सकता है वास्तव में नारीवादी शब्द का पहली बार उपयोग काल्पनिक समाजवादी चार्ल्स फोरियर ने 1837 में महिलाओं के लिए समान अधिकार का उल्लेख करने के लिए किया नारीवादी आंदोलन के पहले चरण में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर जोर दिया गया दूसरे चरण में महिलाओं की सामाजिक समानता तथा कानूनी समानता पर बल दिया गया तीसरे चरण में दूसरे चरण के आंदोलन की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई वास्तव में नारीवादी विचारधारा उत्तर आधुनिक विचारधारा है यद्यपि उदारवादी नारीवादी नारीवादी आंदोलन का पहला चरण माना जाता है महिलाओं के मताधिकार पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए इस के संदर्भ में अमेरिका विचारक बेटी फ्रीडम ने अपनी रचना मैं उस सांस्कृतिक विद्या को दूर करने का प्रयास किया जिसमें यह मारा जाता है कि घरेलू जीवन में महिलाओं की सुरक्षा एवं पूर्णता की प्राप्ति होती है इसी मान्यता के कारण रोजगार राजनीति और सामाजिक जीवन में महिलाओं के प्रवेश को हतोत्साहित किया जाता है इन्हीं परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने ने वर्तमान समय में महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विती भारतीय संविधान के उपबंध अनुसार कर रही है*

Keywords: *सशक्त, योजनाएं, नारीवाद, महिला वादी, संविधानिक, क्रियान्वित, सांस्कृतिक, उदारवादी, अभिनव नारी, महिला*

प्रस्तावना-

"महिला - वो शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में, न कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है।"

"चाहे खेल हो या अंतरिक्ष विज्ञान, हमारे देश की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वे कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ रही हैं और अपनी उपलब्धियों से देश का नाम रौशन कर रही हैं।"

मानवता की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। आज मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं, बल्कि महिलाओं के वाले विकास का है।" पंडित जवाहर लाल नेहरु द्वारा कहा गया मशहूर वाक्य "लोगों को जगाने के लिये", महिलाओं का जागृत होना जरुरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है, परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है।आज के समय में महिला सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है, खासतौर से पिछड़े और प्रगतिशील देशों में क्योंकि उन्हें इस बात का काफी बाद में ज्ञान हुआ कि बिना महिलाओं तरक्की और सशक्तिकरण के देश की तरक्की संभव नही है। भारतीय समाज शुरू से ही पुरुष प्रधान रहा है। यहां महिलाओं को हमेशा से दूसरे दर्जे का माना जाता है। पहले महिलाओं के पास अपने मन से कुछ करने की सख्त मनाही थी। परिवार और समाज के लिए वे एक आश्रित से ज्यादा कुछ नहीं समझी जाती थीं। ऐसा माना जाता था कि उसे हर कदम पर पुरुष के सहारे की जरूरत पड़ेगी ही।

महिला सशक्तीकरण

महिला सशक्तिकरण' के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिये कि हम 'सशक्तिकरण' से क्या समझते है। 'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे है जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो।

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)

महान विचारक एवं सभी पिछड़ों के (जिसमे भारतीय महिलाएं भी आती थी) उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित करनेवाले डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने भारत को आजादी मिलने से 20 वर्ष पहले ही कहा था-

I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved

महिला सशक्तीकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारिरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। इसमें ऐसी ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके। वह समाज में किसी समस्या को पुरुषों से बेहतर ढंग से निपट सकती है।

स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित-परिष्कृति कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सु-अवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है।

दूसरे शब्दों में - महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है, जिसके द्वारा महिलाएँ भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकंक्षाओं को पूरा कर सके।

आसान शब्दों में महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है।

महिलाओं के संरक्षण के लिए संवैधानिक (प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद-14- के तहत विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

संविधान का अनुच्छेद-15 (3)- के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से राज्य सकारात्मक कदम (Affirmative Measure) उठा सकता है। लिंग विशिष्ट कानूनों (Gender Specific Laws) की उत्पत्ति का स्रोत संविधान का वही अनुच्छेद है।

संविधान का अनुच्छेद-21-, प्रत्येक नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसी के तहत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सम्मिलित है।

अनुच्छेद 23-24 द्वारा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले शोषण को नारी गरिमा के लिए उचित नहीं मानते हुए महिलाओं की खरीद-ब्रिकी वेश्यावृत्ति के लिए जबरदस्ती करना, भीख मंगवाना आदि को दंडनीय माना गया है । इसके लिए सन् 1956 में 'से प्रश्न आॅफ इमोरस ट्राफिक इन विमेन इन विमेन एंड गल्स एक्ट'' भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके

सविधान के अनुच्छेद-39 में महिलाओं एवं पुरूषों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद-42के तहत काम की उचित दशा एवं प्रसूति सहायता (Maternity Relief) का प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 46 इस बात का आव्हान करता है कि राज्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सब प्रकार के शोषण से संरक्षा करेगा ।

संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 (क) (डं.) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो कि स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो ।

अनुच्छेद 243 (द) (3) में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गये स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगें और चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबंटित किये जाएगें ।

अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 325 द्वारा संविधान निर्माताओं ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि भारत में पुरुष और स्त्री को समान मतदान अधिकार दिये गये हैं ।

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)

महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई योजनाएं निम्न हैं:

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम:

I. बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **22 जनवरी, 2015 को** पानीपत, **हरियाणा** में इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी|

II. इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों के **गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक** करना है|

III. इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने के साथ साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना है|

2. किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

I. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम की **शुरूआत 1 अप्रैल, 2011** को की गई थी|

II. इस कार्यक्रम को 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' की देख-रेख में चलाया जा रहा है|

III. इस कार्यक्रम के तहत भारत के 200 जिलों से चयनित 11-18 आयु वर्ग की किशोरियों की देखभाल 'समेकित बाल विकास परियोजना' के अंतर्गत की जा रही है| इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को 11-15 और 15-18 साल के दो समूहों में विभाजित किया गया है|

IV. इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभों को दो समूहों में विभाजित किया गया है: (a).पोषण (11-15 वर्ष तक की लड़कियों को पका हुआ खाना दिया जाता है) (b). गैर पोषण (15-18 वर्ष तक की लड़कियों को आयरन की गोलियां सहित अन्य दवाइयां मिलती हैं)|

3. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना:

I. यह मातृत्व लाभ कार्यक्रम 28 अक्टूबर, 2010 को शुरू किया गया था|

II. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य **19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने** वाली माताओं को पहले दो बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

III. इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल के लिए दो किस्तों में **6000 रूपये की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है|

IV. यह कार्यक्रम 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' द्वारा चलाया जा रहा है|

4. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना:

I. इस योजना का **शुभारम्भ 2004 में** किया गया था |

II. यह योजना वर्ष 2004 से उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम हो|

III. इस योजना में केंद्र व राज्य सरकारें क्रमशः 75% और 25% खर्च का योगदान करेंगे |

IV. इस योजना का मुख्य लक्ष्य 75% अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चियों का दाखिला कराना है |

V. योजना में मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर हैं तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है।

5. प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना:

I. इस योजना की शुरुआत प्रधामंत्री मोदी द्वारा 1 मई 2016 को की गई थी |

II. इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को **मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन** मिलेंगे|

III. योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना है।

IV. इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना चाहती है |

6. स्वाधार घर योजना:

I. इस योजना को 2001-02 में शुरू किया गया था |

II. इस योजना को 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' के माध्यम से चलाया जा रहा है |

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)

III. इस योजना का उद्देश्य वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, रिहा कैदी, विधवाओं, तस्करी से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं, मानसिक रूप से विकलांग और बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करना है।

IV. इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं के भोजन और आश्रय, तलाक शुदा महिलाओं को कानूनी परामर्श, चिकित्सा सुविधाओं और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं|

V. इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए शारीरिक और मानसिक मजबूती प्रदान की जाती है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें|

7. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP)

I. इस योजना की शुरुआत 1986-87 में एक केन्द्रीय योजना के रूप में की गयी थी |

II. इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाया जा रहा है |

III. योजना का मुख्य उद्येश्य महिलाओं का कौशल विकास कराकर उनको इस लायक बनाना है कि वे स्व-रोजगार या उद्यमी बनने का हुनर प्राप्त कर सकें |

IV. इस योजना का मुख्य लक्ष्य 16 वर्ष या उससे अधिक की लड़कियों/महिलाओं का कौशल विकास करना है |

V. इस योजना के तहत अनुदान सीधे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को न देकर संस्था/संगठन यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठन को सीधे ही पहुँचाया जाता है |

8. वन स्टॉप सेंटर स्कीम

यह योजना 1 अप्रैल 2015 को 'निर्भया' फंड के साथ लागू की गई थी। यह योजना भारत के विभिन्न शहरों के अलग-अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत यह योजना उन महिलाओं को शरण देती हैं जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है। इसके तहत पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाएं देने का काम किया जाता है।

निष्कर्ष-

हम खुद को आधुनिक कहने लगे हैं, लेकिन सच यह है कि मॉर्डनाइज़ेशन सिर्फ हमारे पहनावे में आया है लेकिन विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। आज महिलाएं एक कुशल गृहणी से लेकर एक सफल व्यावसायी की भूमिका बेहतर तरीके से निभा रही हैं। नई पीढ़ी की महिलाएं तो स्वयं को पुरुषों से बेहतर साबित करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। समाज की वर्तमान दुर्दशा से निकलने के लिए नारी और पुरूष दोनों को ही अपनी अपनी सीमाओं का रेखांकन करना होगा तभी हम स्वस्थ समाज की संरचना कर पाएंगे। वास्तव में नारीवादी आंदोलन वर्ष 1960 के अंतिम दशकों में चरम पर पहुंचा तथा उनसे 70 के दशक में यह आंदोलन कमजोर हो गया जिसे उत्तर नारीवादी युद्ध भी कहा जाता है उग्र नारीवादी वास्तव में नारीवादी होते परंपरागत विचारों की मान्यता का खंडन किया जिसमें निजी एवं सादिक जीवन में विभेद स्थापित किया जाता है यह परंपरा के चिंतन से ही विद्यमान है जिसमें भारत सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से नारी को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है उदारवादी राज्यों में यह दावा किया जाता है कि वे पुरुष या महिलाओं के प्रति पटाखों की उदारवादी राज्य के अंतर्गत सभी को समान अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त होती है पुरुषों के लिए कल्याणकारी राज्य के अनुसार महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में है इसलिए साधु जीवन में प्राप्त स्वतंत्रता समानता और अधिकार के लिए हैं इसलिए नारी वादियो ने सामाजिक जीवन के लिए कृत्रिम विभाजन को अस्वीकार कर दिया है भारत के संविधान में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के विभिन्न प्रावधान किए गए हैं तथा भारत सरकार इनकी क्रियान्वित के पूर्व विभिन्न योजनाएं चला रही है

संदर्भ सूची:-

1. मिश्रा राजेश राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन पृष्ठ संख्या 63 64
2. परीक्षा मंथन पत्रिका पृष्ठ संख्या 147
3. राजस्थान पत्रिका 16 12 2016 संपादकीय पृष्ठ
4. योजना मासिक पत्रिका 2018
5. अभिव्यक्ति पाक्षिक पत्रिका 2016
6. दृष्टिकोण मंथन पाक्षिक पत्रिका 2017 फर्स्ट संख्या 13 14
7. दैनिक भास्कर जयपुर 1511 2014 क्रम संख्या संपादकीय

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)